



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 07 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 13-09-2020

दिनांक 12/13-09-2020 को रात्रि थाना सरोजनीनगर 01, पी0जी0आई0 02, मोहनलालगंज 03, आटियाना 01, अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 07 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 मध्य

अभियुक्त गिरफ्तार।

आलमबागः-दिनांक 13-09-2020 को थाना आलमबाग द्वारा बताया गया कि दिनांक 11-09-2020 को वादिनी उम्र करीब 21 वर्षा निवासी आलमबाग थाना आलमबाग लखनऊ द्वारा थाना आलमबाग पर धारा 452/323/504/506/354 भादवि का अभियोग बनाम 1-अहमद अली के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना महिला एस0आई0 बबली गौड़ थाना आलमबाग लखनऊ द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दिनांक 12-09-2020 को महिला एस0आई0 बबली गौड़, एस0आई0 श्री धर्मेन्द्र कुमार राम थाना आलमबाग लखनऊ द्वारा उपरोक्त मुकदमें के नामजद अभियुक्त 1-अहमद अली पुत्र रहमतउल्ला निवासी प्रेमवती नगर गढ़ी कनौरा थाना आलमबाग लखनऊ को मुखबिर की सूचना पर इन्दल होटल आलमबाग से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना आलमबाग पर आवंट्यक कार्यवाही की जा रही है।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अवैध ञाराब के साथ गिरफ्तार।

थाना पाराः-दिनांक 13-09-2020 को एस0आई0 श्री ञयाम बाबू थाना पारा लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01-विनीत चौरसिया पुत्र राजकुमार निवासी बेरूबा थाना बालामऊ कछौना जनपद हरदोई को रामलीला ग्राउण्ड थाना पारा लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 20 अदद क्वार्टर अवैध देटी ञाराब बरामद कर थाना पारा पर अभियोग पंजीत किया गया।

डी0सी0पी0 उत्तरी।

गुण्डा एक्ट की कार्यवाही।

थाना विकासनगरः-दिनांक 13-09-2020 को श्री ःदिदेव सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना विकासनगर द्वारा अभियुक्त 01-टाकील पुत्र ञमटाद उम्र करीब 30 वर्षा निवासी-652/464 सेक्टर सी सबौली थाना विकासनगर लखनऊ 02-नंदी वर्मा उर्फ अमन वर्मा पुत्र बाबूलाल उम्र करीब 22 वर्षा निवासी-652/98 सबौली थाना विकासनगर 03-अकील पुत्र ञमटाद उम्र

करीब 29 वर्दा निवासी-652/464 सेक्टर सी सबौली थाना विकासनगर के विरुद्ध के गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

धारा 110^{जी} द0प्र0सं0 की कार्यवाही।

मडियाँवः-दिनांक 12-09-2020 को श्री विपिन कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक मडियाँव लखनऊ द्वारा अभि0 1-लुयामू सिंह पुत्र राजपाल सिंह निवासी खदरी थाना मडियाँव लखनऊ 2-लालचन्द्र पुत्र सुरजी प्रसाद निवासी पल्टन छावनी थाना मडियाँव लखनऊ 3-संकेत वर्मा पुत्र राजाराम वर्मा निवासी प्लाट नं0 49 प्रीतिनगर थाना मडियाँव लखनऊ 4-विनोद पुत्र रामऔतार राठौर निवासी ककौली थाना मडियाँव लखनऊ के विरुद्ध धारा 110^{जी} द0प्र0सं0 की कार्यवाही की गयी।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

धारा 110^{जी} द0प्र0सं0 की कार्यवाही।

पाराः-दिनांक 13-09-2020 को श्री त्रिलोकी सिंह प्रभारी निरीक्षक पारा लखनऊ द्वारा अभि0 1-आसिफ पुत्र वजीर अहमद निवासी 83/2 पुरानी कांटीराम कालोनी थाना पारा लखनऊ 2-राजा उर्फ जहीरुद्दीन पुत्र वजीर अहमद निवासी 83/2 पुरानी कांटीराम कालोनी थाना पारा लखनऊ 3-लादाब पुत्र आलम निवासी कांटीराम कालोनी थाना पारा लखनऊ 4-डब्बू पुत्र आलम निवासी पुरानी कांटीराम कालोनी थाना पारा लखनऊ 5-राजेला मिश्रा पुत्र स्व0 श्रीधर मिश्रा निवासी रामबिहार कालोनी नियर ञान्ति टिका मन्दिर थाना पारा लखनऊ के विरुद्ध धारा 110^{जी} द0प्र0सं0 की कार्यवाही की गयी।

भा0द0वि0

सरोजनीनगरः-दिनांक 13-09-2020 को थाना सरोजनीनगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री बालेन्द्र कुमार पुत्र श्री कालीचरन निवासी ग्राम बेहसा निकट अमौसी थाना सरोजनीनगर लखनऊ ने थाना सरोजनीनगर पर सूचना दिया कि दिनांक 04-09-2020 को वादी के बच्चे घर में ताला लगाकर वादी की ससुराल जनपद उन्नाव चले गये थे। वादी भी इस बीच अपनी डियूटी पर जनपद प्रतापगढ़ में था। दिनांक 11-09-2020 को समय करीब 06.00 बजे जब वादी अपने मकान पर लौटकर आया तो देखा कि वादी मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात व नकदी को अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया था। इस सूचना पर थाना सरोजनीनगर पर मु0अ0सं0 444/2020 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री सुरेन्द्र नाथ यादव द्वारा की जा रही है।

